



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART, II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2015/भाद्र 9, 1937

No. 536]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2015/BHADRA 9, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2015

सा.का.नि.668(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियमावली, 2015 है।  
(ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 5, उप-नियम (4) में प्रथम परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः-

परंतु शर्त यह है कि भारतीय पुलिस सेवा में अपने प्रवेशन के समय किसी परिवीक्षाधीन आधिकारी की सेवानिवृत्ति की आयु का समय 4 वर्ष से कम हो या वह प्रवेशन के बाद करिअर मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रेणी- III में शामिल हुआ हो, उसे प्रवेशन प्रशिक्षण के लिए नामित न किया जाए और वैसी स्थिति में इस परंतुक में निहित कोई बात लागू नहीं होगी।

[फा. सं. 11058/03/2015-अ.भा.से.-III]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड- III, उपखंड-(i) में दिनांक 8 सितम्बर, 1954 के सा.का.नि. 152(अ) के तहत प्रकाशित तथा तदनंतर दिनांक 20 जनवरी, 1962 के सा.का.नि. 76, दिनांक 2 फरवरी, 1963 के सा.का.नि. सं. 164, दिनांक 22 अगस्त, 1964 के सा.का.नि. सं. 1164, दिनांक 21 जनवरी, 1967 के सा.का.नि. सं. 67, दिनांक 28 जनवरी सा.का.नि. सं. 102, दिनांक 24 जून, 1967 के सा.का.नि. सं. 945, दिनांक 3 अगस्त, 1968 के सा.का.नि. सं. 1426, दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के सा.का.नि. सं. 1704, दिनांक 26 अक्टूबर, 1968 के सा.का.नि. सं. 1882, दिनांक 24 मई, 1969 के सा.का.नि. सं. 1217, दिनांक 23 अगस्त, 1969 के सा.का.नि. सं. 1986, दिनांक 7 अक्टूबर, 1972 के सा.का.नि. सं. 1248, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 के सा.का.नि. सं. 387, दिनांक 18 मई, 1972 के सा.का.नि. सं. 471, दिनांक 16 जनवरी, 1975 के सा.का.नि. सं. 53, दिनांक 07 फरवरी, 1976 के

सा.का.नि. सं. 156, दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के सा.का.नि. सं. 1360, दिनांक 26 जून, 1976 के सा.का.नि. सं. 904, दिनांक 17 जुलाई, 1976 के सा.का.नि. सं. 1019, दिनांक 27 दिसम्बर, 1980 के सा.का.नि. सं. 1305, दिनांक 9 मई, 1981 के सा.का.नि. सं. 454, दिनांक 30 जुलाई, 1983 के सा.का.नि. सं. 554, दिनांक 23 जून, 1989 के सा.का.नि. सं. 638(अ), दिनांक 12 जनवरी, 1994 के सा.का.नि. सं. 54, दिनांक 14 सितम्बर, 2002 के सा.का.नि. सं. 355 तथा दिनांक 21 फरवरी, 2012 के सा.का.नि. सं. 98(अ) के तहत संशोधन किए गए थे।

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2015

**G.S.R.668(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Probation) Amendment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, in rule 5, in sub-rule (4) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that a probationer who has less than four years of service for retirement on superannuation at the time of his induction into Indian Police Service or has undergone mid-career training programme category III after induction, may not be nominated for Induction training and in such cases nothing contained in the first proviso shall apply.”

[F.No. 11058/03/2015-AIS-III]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.

**Foot note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section III, Sub-section (i), vide number G.S.R. No. 152(E), dated the 8th September, 1954 and subsequently amended vide G.S.R. No. 76 dated the 20th January, 1962, G.S.R. No. 164, dated the 2nd February, 1963, G.S.R. NO. 1164, dated the 22nd August, 1964 G.S.R. No. 67, dated the 21st January, 1967, G.S.R. No. 102, dated the 28th January, 1967, G.S.R. No. 945, dated the 24th June, 1967, G.S.R. No. 1426, dated the 3rd August, 1968, G.S.R. No. 1704, dated the 21st September, 1968, G.S.R. No. 1882, dated the 26th October, 1968, G.S.R. No. 1217, dated the 24th May, 1969, G.S.R. No. 1986, dated the 23rd August, 1969, G.S.R. 1248, dated 7th October, 1972, G.S.R. No. 387, dated the 1st April 1972 G.S.R. No. 471, dated 18th May, 1972, G.S.R. No. 53, dated the 16th January, 1975, G.S.R. No. 156, dated the 7th February, 1976, G.S.R. No. 1360, dated the 25th September, 1976, G.S.R. NO. 904, dated the 26th June, 1976, G.S.R. No. 1019, dated the 17th July, 1976, G.S.R. No. 1305, dated the 27th December, 1980, G.S.R. No. 454, dated the 9th May, 1981, G.S.R. No. 554, dated the 30th July, 1983, G.S.R. No. 638 (E), dated the 23rd June, 1989, G.S.R. No. 54, dated the 12th January, 1994, G.S.R. No. 355 dated the 14th September, 2002 and G.S.R 98 (E), dated the 21st February, 2012.